रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934
No. 150] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च 2012

सा.का.नि. 268(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खाता (प्राप्ति और संदाय) नियम, 1983 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2012 के नाम से जाना जाए।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्ति और संदाय) नियमावली, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(णण) "संदाय सूचना" से पाने वाले के विनिर्दिष्ट बैंक खाते का विनिर्दिष्ट रकम को इलैक्ट्रोनिक अंतरण द्वारा सीधे जमा के लिए बैंक को जारी निदेश अभिप्रेत हैं,' ।

3. मूल नियमों के नियम 11 में,-

(क) उप-नियम (1) में " सरकारी लेखा से चैक से भिन्न माध्यम द्वारा आहरित" शब्दों के पश्चात् "या संदाय सूचना जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक हस्ताक्षरित संदाय सूचना भी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उप -नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) इलैक्ट्रोनिक रूप से हस्ताक्षरित सूचना से भिन्न संदाय सूचना के साथ संगत प्रत्यायित बैंक के पक्ष में प्राप्त की गई समान रकम के लिए चैक संलग्न होगा ;

(ग) उप-नियम (3) "चैक लिखना" शब्दों के पश्चात् "या संदाय सूचना जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक रूप से हस्ताक्षरित संदाय सूचनाएं भी हैं, जारी करना", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. मूल नियमो के नियम 30 में,-

(क) उप-नियम (1) मे, "संदाय, संदाय की मान्यता प्राप्त पद्धति अर्थात् यथासंभव चैक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा", शब्दों के स्थान पर, "दावे के लिए संदाय की मान्यता प्राप्त पद्धति द्वारा किया जा सकेगा, अर्थात् यथासंभव संदाय सूचनाओं द्वारा जिनके अंतर्गत इलैक्ट्रोनिक रूप से हस्ताक्षरित संदाय सूचना भी हैं या चैक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्द रखे जाएंगे";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परंतु यह कि ऐसी सीमाओं, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, से अधिक सभी संदाय, संदाय सूचियों के माध्यम से होंगे ;";

(1क) उप-नियम (1) के प्रावधान अनुदानग्राही और उधार लेने वाली संस्थाओ के दावों और उनके संदायों को भी लागू होंगे ।"।

5. मूल नियमों के नियम 33 में, उप-नियम (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(xक) जब कार्यालयों या कर्मचारिवृंदों, पक्षकारों, फर्मों या कंपनियों आदि के बैंक खातों में सीधे जमा द्वारा संदाय की वांछा की जाती है तब आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा पृथक् बिल तैयार किए जाने चाहिए और निम्नलिखित को बिलों के शीर्ष पर स्पष्टतः उपदर्शित किया जाना चाहिए ·

"बैक खाते में सीधे जमा द्वारा अर्थात् ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आदि के माध्यम से सदाय ।";

"(xख) जब बैंक खातों में सीधे जमा द्वारा संदाय की वांछा की जाती है तब बैंक शाखा के लाभार्थी के नाम, बैंक और शाखा के नाम, पते, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी (भारतीय वित्तीय प्रणाली संकेतकी) एमआईसीआर संकेतकी आदि के ब्यौरे बिल में सुस्पष्टतः लिखे जाने चाहिए ।";

6. मूल नियमों के नियम 37 में टिप्पण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण 1क - आदाताओं के बैंक खाते में सीधे जमा किए गए संदायों की दशा में निस्तारण-पत्र आवश्यक नहीं है :

परंतु यह कि आहरण और संवितरण अधिकारी को बिलों या बिल रजिस्टर की संबंधित कार्यालय प्रति में लेखा कार्यालय या सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए संदाय सूचना संख्यांक के बारे में एक प्रविष्टि करनी होगी ।

7. मूल नियमो के नियम 44 में,-

(क) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) (i) सरकारी सेवकों को, उनके विकल्प पर, उनके बैंक खातों में उनके वेतन को सीधे जमा द्वारा या नकद या चैक द्वारा प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ;

(ii) सरकारी कर्मचारियों को किए गए संदायों के लिए निस्तारण-पत्र नियम 92 के प्रावधानों के अनुसार अभिप्राप्त किया जाएगा ;

(iii) वेतन से भिन्न संदाय, संदाय की वैसी ही पद्धति द्वारा जैसी कि वेतन की पद्धति है, द्वारा किए जाएंगे :

परंतु यह कि उन मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों को वेतन नकद या चैक द्वारा संदेय है, ऐसी सीमा, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, से अधिक अन्य संदाय जैसे गृह निर्माण अग्रिम कर्मचारी के बैंक खाते में सीधे संदत्त किया जा सकेगा ;

(ख) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"टिप्पण 3 - सेवानिवृत्ति या सेवांत हितलाभ जैसे उपदान राशि, पेंशन का संराशिकृत मूल्य, छुट्टी वेतन का नकद भुगतान, साधारण भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी साधारण बीमा योजना आदि के निपटारे के लिए संदाय लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

8. मूल नियमों के नियम 49 में, –

(क) "सामान्य वित्तीय नियमावली, 1963 के नियम 190 के प्रावधान" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अग्रिमों संबंधी नियमों के सार संग्रह का नियम 14" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(2क) जहां कहीं अधिकारियों या कर्मचारीवृंदों या फर्मों या कंपनियों के बैंक खातों में राशि सीधे जमा करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित संदाय सूचना जारी करके संदाय की व्यवस्था लेखा अधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा की जाती है, वहां संदाय की तारीख उस तारीख के रूप में जिसको ऐसी सूचना भारत सरकार के संदाय प्रवेश द्वार तक अपलोड की जाती है या संदाय सूचना में उल्लिखित नियत तारीख तक, इनमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, संगणित की जाएगी ।

(2ख) जहां कहीं संदाय अधिकारियों या कर्मचारीवृंदों या फर्मों या कंपनियों के बैंक खातों में राशि को सीधे जमा करने के लिए इलैक्ट्रोनिक सूचना से भिन्न संदाय सूचना जारी करके संदाय की व्यवस्था लेखा अधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी द्वारा की जाती है वहा संदाय की तारीख उस तारीख जिसको नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी सूचना और चैक बैंक को सौंप दिए जाते हैं या संदाय सूचना में उल्लिखित तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के रूप मे संगणित की जाएगी ।

[फा. सं. 1(1)/2011/टी.ए.]

सोमा रॉय बर्मन, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 739, तारीख 3 सितंबर, 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(Controller General of Accounts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2012

G.S.R. 268(E).—In exercise of the powers conferred by clause(1) of article 283 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Government Account (Receipts and Payments) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983, (hereinafter referred to as the principal rules) after clause(o), the following clause shall be inserted, namely:-

'(oo) "Payment advice" means the instructions issued to the bank for direct credit by electronic transfer of the specified amount to the specified bank account of the payee;'.

3. In rule 11 of the principal rules,-

(a) In sub-rule (1), after the words "withdrawn from the Government account other than against cheques", the words "or payment advices including electronically signed payment advices" shall be inserted;

(b) After sub-rule(1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The payment advice other than electronically signed advices shall be accompanied by a cheque for equal amount drawn in favour of the relevant accredited bank;

(c) In sub-rule (3), after the words "draw a cheque" the words "or issue payment advices including electronically signed payment advices" shall be inserted.

4. In rule 30 of the principal rules,-

(a) in sub-rule(1), for the words "The payment may be made by the officer by any recognized mode of payment, that is by cheque as far as possible or by bank draft", the words "The payment for the claim may be made by any recognized mode of payment, that is as far as possible by Payment advices including electronically signed Payment advices or by cheque or by bank draft" shall be substituted;

(b) After sub rule (1), the following shall be inserted, namely:-

"provided that all payments exceeding the limits, as specified from time to time, shall be through payment advices;";

(1A). The provisions of sub-rule (1) shall also be applicable to the claims of, and payments to grantee and loanee institutions.".

5. In rule 33 of the principle rules, after sub-rule (ix), the following sub rule shall be inserted, namely:-

"(xa) when payment is desired by direct credit to the bank accounts of the offices or staff, parties, firms or companies, etc., separate bills should be prepared by DDOs and the following should be clearly indicated on the top of the bills:

"Payment by direct credit to bank account through ECS, NEFT, RTGS etc.";

(xb) when payment is desired by direct credit to the bank accounts, the details of beneficiary's name, name of the bank and branch, address, bank account no , IFSC (Indian Financial System Code), MICR code, etc. of the bank branch must be prominently written in the bill.".

6. In rule 37 of the principle rules, after Note 1, the following note shall be inserted namely:-

"Note 1A.- The requirement of aquittance is not necessary in case of payments credited directly to the bank account of the payees:

Provided that the DDO shall have to make an entry regarding the payment advice number issued by Accounts office or CDDO in the respective office copy of the bills or Bill Register."

7. In rule 44 of the principle rules, -

(a) For sub-rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

1177 GI/12-2

"(3) (i) The Government servants are permitted to receive their salary by direct credit to their bank accounts or in cash or by cheque, at their option;

(ii) Aquittance for the payments made to the Government servants shall be obtained in accordance with the provisions of rule 92;

(iii) The payments other than of salary shall also be made by the same mode of payment as of salary:

Provided that in cases where salary is payable in cash or by cheque, other payments to Government servants exceeding the limit, as specified from time to time, like house building advance may be paid directly to the bank account of the employee;"

(b) After Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"Note 3.- The payments towards settlement of retirement or terminal benefits such as Gratuity, Commuted value of Pension, Encashment of leave salary, General Provident Fund, CGEGIS etc. shall be paid by direct credit to the bank accounts of the beneficiaries."

8. In rule 49 of the principal rules,-

(a) for the words and figures "the provisions of rule 190 of the General Financial Rules, 1963", the words and figures "rule 14 of Compendium of Rules on Advances", shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2A) wherever payment is arranged by Accounts Officer or CDDO by issuing electronically signed payment advice for directly crediting the amounts to the bank accounts of the officers or staff or firms or Companies, the date of payment will be reckoned as the date on which such advice is uploaded to the payment gateway of the Government of India or the due date mentioned in payment advice, whichever is later.

(2B) wherever payment is arranged by Accounts Officer or CDDO by issuing payment advice other than electronic advice for directly crediting the amounts to the bank accounts of the officers or staff or firms or Companies, the date of payment will be reckoned as the date on which such advice and the cheque referred to in sub-rule (1) of rule 11 are handed over to the bank or the date mentioned in payment advice, whichever is later."

[F. No. 1(1)/2011/TA]

SOMA ROY BURMAN, Jt. Controller General of Accounts

Footnote : - The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No GSR 739 dated 3rd Sept , 1987.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.